

Regarding violation of Forest Rights Act in Robertsganj Parliamentary Constituency

श्री छोटेलाल (रॉबर्ट्सगंज): धन्यवाद सभापति जी । आज लोक महत्व के मुद्दे के तहत मैं वन अधिकार कानून के विषय को उठाना चाहता हूं । हमारे संसदीय क्षेत्र रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र, चंदौली, चकिया, नवगढ़, वन विभाग द्वारा, रेंजर्स द्वारा गरीबों, आदिवासियों का घर गिराया जा रहा है । पुश्तैनी वन की जमीन, वन अधिकार के तहत पट्टा नहीं दिया गया, उल्टे उन्हें मार-पीट कर भगाया जा रहा है तथा कहा जा रहा है कि जमीन छोड़कर भाग जाओ, वरना मुकदमे में फंसा देंगे । वन अधिकार कानून के तहत सोनभद्र में गरीबों, दलितों, आदिवासियों को नियमानुसार पट्टा नहीं दिया जा रहा है एवं वन अधिकार कानून का उल्लंघन किया जा रहा है । वन अधिकार कानून के तहत आदिवासियों को कब्जे के आधार पर ज्यादा से ज्यादा जमीन पट्टे के रूप में दी जाए और फिर से री-सर्वे कराकर सभी आदिवासियों को पट्टा दिया जाए, यह मेरी आपसे मांग है । माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मंत्री थे, तब कांग्रेस पार्टी से बात करके वर्ष 2006 में वन अधिकार कानून लाया गया था ताकि आदिवासियों, गरीबों, दलितों को वन अधिकार के तहत पट्टा मिलेगा। आज उल्टे उन्हें मार-पीट कर भगाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है तथा जो अन्य गरीब लोग हैं, उनसे पिछले 75 सालों का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है । अंतः इसमें संशोधन किया जाए । धन्यवाद ।